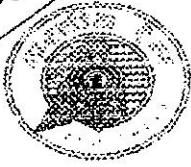


3 pages

62



1
03/2018

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-04-7

क्रमांक- 03 / 2018

सं0 ई / 161 / 5 / भाग- 1 / चार

दिनांक 01-08-2018

04-

सचिव / महाप्रबन्धक
सचिव / अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-रमजान माह के रोजा रखने वाले कर्मचारियों को कार्यालय बन्द होने से पूर्व कार्यालय छोड़ने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0-2017 / जी / 35 / 1 दिनांक 22.05.2018 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक / यथोपरि

(आर.के.प्रसाद)
सहायक / मुख्या0-11
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

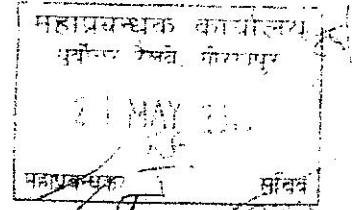
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री / एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूउरे / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री / रेसुब एशोसियेशन / पूउरे / गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री / एससी / एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन / गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी / एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

2
03/2018

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)



CIRCULAR

During the Holy month of Ramzan, the time of Ifar coincides with setting of the sun, which takes place early.

It has, therefore, been decided that those Muslim Railway employees who observe fast and are required to travel long distance from their place of work to their residence for Ifar, may be allowed to leave office early, wherever feasible.

No.2017/G/35/1

Dated: 22.05.2018

29.05.18

नवाब

29.05.18

29.05.18

29.05.18

29.05.18

29.05.18

29.05.18

(P.S.Meena)

Director (General Admn.)
Railway Board

To,

1. All Officers and Branches in the Board's Office.
2. As per List Attached.

29.05.18

29.05.18

615

29.05.18

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

3
03/2018

परिपत्र 116/2018/प.प्र.न.न.

रमजान के पवित्र महिने में इफ्तार का समय सूर्यास्त के साथ ही शुरू होता है, जो थोड़ा पहले आरंभ होता है।

अतः यह विनिश्चय किया गया है कि वे मुस्लिम रेल कर्मचारी जो रोजा रखते हैं और जिन्हें इफ्तार के लिए अपने घर पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उन्हें जहाँ-कहीं व्यावहारिक हो, समय से पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाए।

(पी. एस. मीना)

निदेशक (सा.प्र.)

रेलवे बोर्ड

सं.2017/जी/35/1

दिनांक 22.05.2018

प्रतिलिपि रेलवे बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों/शाखाओं को प्रेषित।